न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 76 / 18

1. घनश्याम पुत्र देवफूल जाति मीना निवासी पिलोदा पुरा तहसील सपोटरा जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. प्रसादी पुत्र हीरालाल
2. प्रितम पुत्र प्रसादी
3. बजरंगी पत्नि प्रसादी
4. फुलन्ती पत्नि चरण
5. राजन्ती पत्नि मनोहर सभी जातियान मीना निवासीयान पिलोदा पुरा तहसील सपोटरा जिला करौली

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा मु0न0 39 / 12 निर्णय दिनांक 18.6.18)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री गिर्राज सिह गुर्जर
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री राधेश्याम बैष्णव

निर्णयं

दिनांक 20.1.2020

प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 39 / 12 निर्णय दिनांक 18.6.18 न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी / अपीलांट द्वारा एक वाद पत्र धारा 188 आर टी एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 387 / 1 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा वाके ग्राम इनायती तहसील सपोटरा वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की है। प्रतिवादीगण का इस आराजी से कोई वास्ता नही है। प्रतिवादीगण सहजोर, लडाकू प्रवृत्ति है। लठठ के बल पर उक्त आराजी से वादी को बेदखल करने पर आमादा है तथा जबरन नीब खोदकर मकान बनाने पर आमादा है। दिनांक 9.7.12 को जब वादी / अपीलाट उक्त आराजी मे बुवाई के लिए जोत लगा रहा था तो प्रतिवादीगण लाठी,फावडे लेकर आये एवं कहा कि हम तुझे उक्त आराजी पर काश्त नही करने देगे और मकान निर्माण करेगे। वादी ने जब उनको ऐसा करने से मना किया तो उन्होने जबरन कब्जा कर नींव खोदकर मकान निर्माण की धमकी दी। यह वाद कारण उत्पन्न होने से वादी / अपीलांट ने प्रतिवादीगण / रेस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी / अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट / वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेंश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

Scanned by CamScanner

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रकिया का अवलोकन नही किया है एवं गलत प्रकार से निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट को निर्णय करने से पूर्व कोई सूचना नही दी एवं प्रतिवादीगण/रेस्पो0 से मिलकर राजस्व अभियान ईनायती मे एक तरफा फैसला कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलांट को नही थी। जबकि अपीलांट ने पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि वादी/अपीलांट विवादित आराजीयात ख0न0 387/1 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा वाके ग्राम ईनायती मे स्थित है वादी/अपीलांट ही कब्जे काश्तकार एवं खातेदार है जिस बाबत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश करता जिसे अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय करने मे सुविधा रहती । अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपस मे भूमि एक्सचेंज की है। वादी/अपीलांट अनपढ व्यक्ति है। रेस्पो0 ने एक्सचेंज की जगह एक फर्जी विक्रय पत्र तैयार करके वादी अपीलांट के एक्सचेंज करने के नाम से विक्रय पत्र हस्ताक्षर करवा लिये जबकि रेस्पो0 को वादी/अपीलांट के पक्ष मे एक्सचेंज का विक्रय पत्र लिखना था। परन्त नियत खराब हो जाने के कारण अपनी जुबान से मुकर गये। अपीलांट की अशिक्षा का फायदा उठाकर रेस्पो0 ने सारी कार्यवाही फर्जी तरीके से की है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि अपीलांट व रेस्पो0 एक ही परिवार के सदस्य है। उभयपक्षो ने करीब 15 साल पूर्व जोरावर पुत्र बंशी गुर्जर निवासी ईनायती से 130000/–रूपये स्टाम्प द्वारा आराजीयात खरीदी थी जिसकी लिखा पढी थी परन्तु परिवार के सदस्य होने के कारण विश्वास कर लिया। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बाब पर गौर नही किया कि संबंधित वाद पत्र मे कोई साक्ष्य नही कोई दस्तावेजो का अवलोकन नही किया अभियान मे किसी गांव वालो से पूछताछ की जबकि पूर्व मे दिनांक 30.9.13 को अधिनस्थ न्यायालय ने इस वाद पत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को प्रार्थी के पक्ष मे प्राईमाफेसी केस सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है तथा अप्रार्थी का काउन्टर क्लेम खारिज किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड वादी के पक्ष मे होते हुए भी वाद पत्र खारिज कर अहम भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के कारण रेस्पो0 निर्माण करने एवं रहन बय करने पर आमादा है । अगर रेस्पो0 अपने ईरादे मे सफल हो गये तो अपील करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। अधिनस्थ न्यायालय मे वादी ने वाद पत्र रेस्पो0 प्रसादी, प्रतीम, बजरंगी के खिलाफ पेश किया था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के बाद रेस्पो0 फुलवती, राजन्ती मौके की स्थिति बदलना चाहते है एवं फर्जी दस्तावेज तैयार कर मौके पर निर्माण करना चाहते है। इसलिए अपील मे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। जिसके लिए आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र संलग्न है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेटान के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे कथन किया कि अपीलांट व रेस्पो0 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनकी शामलाती कृषि भूमि का बंटवारा पंच व रिश्तेदारो के समक्ष दिनांक 16.12.07 को हुआ था। उक्त समझौते के मुताबिक अपीलांट/वादी आराजी ख0न0 387/1 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा जो कि शामिल मे खरीद की थी को अपने पिता के चारो भाईयो के नाम करवा देगा। उसी समझोते के मुताबिक वादी/अपीलांट ने उक्त आराजी मे से 1/4 हिस्से का रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 2.6.08 को प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 3 के नाम करवा दिया तभी रेस्पो0 संख्या 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी/अपीलांट थोक व्यक्ति है जो असामाजिक तत्वो की आड लेकर रेस्पो0 के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त मे चली आ रही कृषि भूमि को विवाद करके हडपना चाहते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण जिम्मे तनकीयात कायम की

Scanned by CamScanner

जाकर प्रत्येक तनकी का पूर्ण रूप से विवेचन करने तथा वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा तनकीयात को साबित नही करने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस व तर्को पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आये कि उभयपक्ष के बीच विवाद आराजी ख0न0 387/1 रकबा 2 बीघा 9 विस्वा वाके ग्राम इनायती तहसील सपोटरा को लेकर है। विवादित आराजीयात जमाबंदी सम्वत 2068–71 अनुसार वादी/अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है परन्तु उक्त आराजी के 1/4 भाग को वादी/अपीलांट द्वारा प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 3 बजरंगी पत्नि परसादी के नाम रजिस्टर्ड बयनामा किया गया है। जो पत्रावली मे उपलब्ध है। अपीलांट का कथन है कि वादी/अपीलांट व रेस्पो0 दोनो ने अपनी आराजीयात को एक्सचेंज किया था परन्तु रेस्पो0 द्वारा एक्सचेंज की जगह फर्जी विक्रय पत्र तैयार कर एक्सचेंज के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कराये है। फर्जी वयनामे के आधार पर वाद राजस्व न्यायालय को सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे वादी/अपीलांट एवं प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के हिस्से तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी का विधि पूर्वक विवेचन करने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के मु0न0 39/12 निर्णय दिनांक 18.6.18 को यथावत रखा जाता है।

अतः अपील निर्णय आज दिनांक 20.1.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20.1.20

(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.03.03 17:14:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: